इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322] भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 अगस्त 2016—श्रावण 10, शक 1938

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2016

कमांक एफ 23–13/2012/4/25 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 10 (i) उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधन नियम 2014 का और संशोधन करने के लिये उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये योजना बनाई जाती है अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (योजना) संशोधित नियम, 2016 कहलाएंगे।

(3) ये नियम म.प्र. शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक से प्रभावशील होंगे।

7. राहत एवं सहायता –

जिला दंडाधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होते ही तत्काल विभिन्न अत्याचारों के लिए पीड़ित व्यक्तियों, उनके परिवार या आश्रितों को निम्नानुसार सहायता/राहत दी जाएगी। पीड़ित अथवा आश्रितजन के सेविंग बैंक अकाउण्ट में सीधे जमा किये जायेंगे।

उपाबंध

(नियम 12 (4) देखियें)

(राहत राशि के लिये मापदण्ड)

क.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
(1)	(2)	(3)
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना अधिनियम की धारा 3 (1) (क)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये। पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाये – (i) कम संख्याक (2) और (3) के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 10 प्रतिशत और कम संख्याक (1), (4) और (5) के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रकम पर 25 प्रतिशत। (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत, (iii) जब अभियुक्त व्यक्ति कम संख्या (2) और (3) के लिये अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार कम संख्याक (1), (4) और (5) के लिये 25 प्रतिशत
2	मलमूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख)	
3	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना अधिनियम की धारा 3 (1) (ग)	
4	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना अधिनियम की धारा 3 (1) (घ)	
5	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसा कपड़ा उतारकर, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना अधिनियम की धारा 3 (1) (ड)	

6	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उसपर खेती करना अधिनियम की धारा 3 (1) (च)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जायेगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
7	भूमि या परिसरों से सदोष कब्जा करना या अधिकारों जिनके अधीन वन अधिकार भी हैं के साथ हस्तक्षेप करना अधिनियम की धारा 3 (1) (च)	
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3 (1) (ज)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
9	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिये विवश करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (झ))	
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिये उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ञ))	
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट))	
12	मतदान करने या नाम निर्देशन फाईल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ))	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड))	
14	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण (अधिनियम की धारा 3 (1) (ढ))	
15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ण))	
16	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्रवाइयाँ संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (त))	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपये या वास्तविक विधिक खर्चों ओर नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत

17	किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3 (1) (थ))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये या वास्तविक विधिक खर्चों ओर नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
18	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिये अभित्रास (अधिनियम की धारा 3 (1) (द))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
19	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ध))	
20	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (न))	
21	शत्रुता, घृणा, स वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (प))	
22	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (फ))	
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंग विक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ब))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
24	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वैच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फ क))	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपये, (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपये (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है को पचासी हजार रूपये। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिये पूरी जिम्मेदारी लेगा।

		मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत,
25	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
26	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़ने के लिये दण्ड) (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत, (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
27	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
28	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत
29	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत

30	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथून (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
31	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथून (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
32	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये आशयित है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
33	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (भ))	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाये।
34	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उसपर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना (अधिनियम की धारा 3 (1) (म))	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपये और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत

35	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिये मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (य))	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रकम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
36	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, होज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवाहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (अ)	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, होज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवाहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपये की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नये वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (आ)	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नये वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिये खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानता पूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिये खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के

	धार्मिक जूलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेना। (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (इ)	हैं या कोई धार्मिक जूलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या पब्लिक के लिये खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिये आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (ई)	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या पब्लिक के लिये खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिये आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यांपार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाव का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (उ)	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाव के उपयोग करने के या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
37	डायन होने या जादू– टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि पारित करनाफ। (अधिनियम की धारा 3 (1) (य ख)	पीड़ित को एक लाख रूपये और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर

		25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
38	समाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना। (अधिनियम की धारा 3 (1) (य ग)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। (अधिनियम की धारा 3 (2) (i) और (ii)	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपये संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
40	भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना जो 10 वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय है। (अधिनियम की धारा 3 (2)	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है। यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
41	भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दण्ड से दण्डनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिये भारतीय दण्ड संहिता में विनिर्दिष्टत किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v a)	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है। यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
42	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना (अधिनियम की धारा 3 (2) (vii)	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है,

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
43	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16–18/97 – एन. आई. तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रकिया के लिये अंतर्विर्शिट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत– प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
	(ख) जहां अक्षमता शत–प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रूपये संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है,
	(ग) जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है,
44	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रूपये संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 (घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपये संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
45	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपये संदाय निम्नानुसार किया जायेगा – (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।

46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :– (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत कय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध (ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण–पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा। (iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"

10) पुनर्वास –

पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार, आश्रितों, मृतक के आश्रितों के पुनर्वास हेतु निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:–

(1) मासिक निर्वाह भत्ता:–

(अ) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य की फसल नष्ट कर दी गई है तो अगली फसल आने तक या अधिकतम तीन माह तक 4500/– निर्वाह भत्ते के रूप में पीड़ित परिवार को दिया जाएगा, ताकि वह पुनः फसल उगा सकें।

(ब) यदि मकान जला दिया जाता है तो तीन माह की अवधि तक परिवार के भरण–पोषण हेतु चावल, दाल, गेहूं आदि कलेक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा प्रति व्यक्ति अधिकतम 30 किलो दिया जाएगा। साथ ही बर्तन आदि दिए जाएंगे।

(स) उत्पीड़न के कारण कमाने वाले व्यक्ति की शत–प्रतिशत स्थाई शारीरिक अक्षमता होने पर उपरोक्त (अ) एवं (ब) अनुसार सहायता परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) रोजगार –

मृतक की विधवा अथवा उसकी संतानों या आश्रितों में किसी एक को 6 माह के अंदर रोजगार दिया जायेगा। कलेक्टर जिलें में ही रोजगार निर्धारित समयावधि में दी जाना सुनिश्चित करेंगे।

(4) कृषि भूमिः

यदि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदाय नहीं किया जाता है और परिवार भूमिहीन हो तो कलेक्टर 6 माह के अंदर कम से कम 2 एकड़ कृषि भूमि पीड़ित परिवार के आश्रितजन को कलेक्टर द्वारा यथा संभव उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) बच्चों की शिक्षाः

मृतक के 18 वर्ष से कम उम्र के पुत्र–पुत्रियों को एक माह के अंदर छात्रावास/आश्रम में प्रवेश दिया जाकर उनकी 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक अथवा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने तक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगीं । ऐसे बालक–बालिकाओं को 12 माह की अवधि के लिए शिष्यवृत्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर 1000/– माध्यमिक स्तर पर 1500/– हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्तर व स्नातक स्तर पर 3000/रू. प्रतिवर्ष पहनने के कपड़े, जूते, पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं, स्टेशनरी आदि के लिए दिए जाएंगे।

(6) सामाजिक पुनर्वासः

(अ) यदि कोई बलात्कार से पीड़ित अविवाहित महिला से कोई युवक/व्यक्ति शादी करता है तो शादी का व्यय अधिकतम 25,000/– तथा युवक/व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु 50,000/– की अनुदान सहायता व बैंक से ऋण अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की स्वरोजगार योजनाओं के तहत् उपलब्ध कराया जाएगा।

(ब) यदि मृतक की पत्नी (विधवा) शादी करती है तो शादी का व्यय अधिकतम 25,000/– दिए जाएंगे।

(स) यदि माता/पिता की हत्या हो जाती है तो पुत्री/पुत्रियों के विवाह के लिए 25,000/– प्रत्येक पुत्री के लिये दिए जाएंगे।

(द) शैक्षणिक संस्थाओं में वाद–विवाद एवं लेखन प्रतियोगिताएं –

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के संबंध में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व उच्चतर माध्यमिक शालाओं में प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को वाद–विवाद एवं लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा विजेता व उपविजेता को निम्नानुसार पुरस्कार दिया जाएगा:–

वाद–विवाद प्रतियोगिता	लेखन प्रतियोगिता	
(अ) महाविद्यालय		
(1) प्रथम पुरस्कार	2000/–	2000/–
(2) द्वितीय पुरस्कार	1500/–	1500/–
(3) तृतीय पुरस्कार	1000/–	1000/–
(ब) उच्चतर माध्यमिक स्तर		
(1) प्रथम पुरस्कार	1500/–	1500/–
(2) द्वितीय पुरस्कार	1000/–	1000/–
(3) तृतीय पुरस्कार	500/–	500/–

उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त महाविद्यालयों को प्रतियोगिता आयोजन हेतु 2500/– रूपये प्रति प्रतियोगिता एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं को रू. 2000/– प्रति प्रतियोगिता के मान से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 15,000/रू. की राशि दी जाएगी। विश्वविद्यालय स्तर पर पुरस्कार राशि रूपये 3000/–, 2000/– एवं 1500/– होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधुकर आग्नेय, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.